

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **पंचायत समिति 26**

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

इमरान खान बनाम राजस्थान सरकार जर्मि लखीतपा

दावा बाबत नाम डिक्री 015 88RTT

मुकदमा नम्बर :- 117/2021

निर्णय दिनांक :- 10.06.2022

वादी की ओर से इमरान खान की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.06.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा जारी किया गया है, पाट 1000/1048/391 की जमादारी में इमरान खान द्वारा हकमदारी के स्थान पर इमरान खान द्वारा हकमदारी किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के विरुद्ध सूट में कितनी कमाई के साथ ही जमाना देगा। तदनुसार हक उम्मानुसूल शिर्षक के खर्चों पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगा।

यह आज तारीख 10.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



डाक नं. 1845 पट दर्ज है